# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां **R.A.S.**

GCMS प्रकरण संख्या 2022/164

प्रकरण संख्या 107/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्री फतहलाल पिता बालूराम जाति सूथार निवासी बांसड़ा तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
2. श्री शंकरलाल पिता बालूराम जाति सूथार निवासी बांसड़ा तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
3. श्री रामचन्द्र पिता तेजा जाति सूथार निवासी बांसड़ा तहसील भीण्डर, जिलाप उदयपुर।

.................प्रार्थीगण

**बनाम**

1. श्री कैलाश पिता शंभूलाल सूथार निवासी बांसड़ा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
2. श्री भरत पिता शंभूलाल सूथार निवासी बांसड़ा तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती गंगाबाई पत्नी बालूराम जाति सूथार निवासी बांसड़ा तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर।

.............अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री राजमल मेनारिया।

## निर्णय

**दिनांक : 23.06.2022**

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बांसड़ा, पटवार हल्का बांसड़ा, भू. अभिलेख निरीक्षक वृत बांसड़ा, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 683 की आराजी संख्या 2810 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसमें प्रार्थी के अलावा किसी अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार एवं अधिपत्य नहीं है।
2. उक्त वर्णित भूमि का आज दिन तक कभी भी सीमांकन नहीं हुआ है एवं न ही पक्की पत्थरगढ़ी हुई है, जिससे आये दिन सीमा संबंधी विवाद पैदा होने की संभावना रहती है। प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि का इस कारण से सही ढ़ग से विक[illegible] फसलों को बचाने के लिए भी प्रार्थीगण अपनी इस कृषि भूमि क[illegible] पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र [illegible] दिनांक 25.0[illegible] को पेश हुआ जब प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को सीमांकन [illegible] तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के लिए [illegible] गया।
3. अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की कृषि आराजियात मौजा बांसड़ा, पटवार हल्का बांसड़ा, भू.अभिलेख निरीक्षक वृत बांसड़ा, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 683 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:44:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला-उदयपुर (राज.)



Scanned by CamScanner

आराजी संख्या 2810 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसका नियमानुसार सीमांकन कर पक्की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया विपक्षीगण को जरिय सूचना पत्र तलब किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा बाद तामिल भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया जिसमें मौजा बांसड़ा, पटवार हल्का बांसड़ा, भू.अभिलेख निरीक्षक वृत बांसड़ा, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 683 की आराजी संख्या 2810 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीण्डर को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा बांसड़ा, पटवार हल्का बांसड़ा, भू.अभिलेख निरीक्षक वृत बांसड़ा, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 683 की आराजी संख्या 2810 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

23/6/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:44:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner